देवघर समाहरणालय
(जिला भू–अर्जन शाखा)

–: अधिसूचना :–

संख्या 11/15-16/02(मु०)............../भू अ0 दिनांक : 09.9.15

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम :– **बारा** , थाना :– **मोहनपुर**, थाना सं०–**675**, अंचलः– **मोहनपुर**, जिला :– **देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **सोलर पॉवर प्लांट** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम :– **बारा**, थाना :– **मोहनपुर**, थाना सं० :– **675** अंचलः– **मोहनपुर** जिला :– **देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **1.58** एकड़ का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :– ....

क.स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	241	रैयती	बाड़ी–2	**0.04**	बालेश्वर महतो वो भरण महतो वो दासो महतो पिता गोविन्द महतो नुनमणि महतो पिता हरखु महतो वो रामदेव महतो पिता अमृत महतो वो देमो देवी वो भवदेव महतो वो चन्द्रवती देवी पिता अंतु महतो वो मटरू यादव वो आलोक यादव वो दिलीप यादव माता हुरो देवी वो सहदेव यादव वो पलटु यादव वो डमरू यादव माता रूदो देवी वो सुकदेव महतो पिता जीवो महतो	दाग संख्या 242, 240, 237 एवं 241 का अंश	दाग संख्या 214 एवं 247	रास्ता	दाग संख्या 243, 245, 244 एवं 246 का अंश
2	3	244	रैयती	बाड़ी–2	**0.28**					
3	3	245	रैयती	बाड़ी–2	**0.29**					
4	3	246	रैयती	बाड़ी–2	**0.40**					
5	5	243	रैयती	बाड़ी–2	**0.40**	नरेशचन्द्र यादव पिता बादेश्वर महतो वो महेशचन्द्र यादव वो संजय यादव वो बिजय यादव पिता धनंजय महतो वो राधिका देवी पति मंगल महतो वो दिनेश यादव वो जनमजय यादव पिता मंगल महतो वो खेमावती देवी पति रमेशचन्द्र यादव				
6	25	239	रैयती	बाड़ी–2	**0.17**	कलशी देवी पति लीला महतो वो सुभद्रा देवी पति काशी महतो वो सीमा देवी पति योगेन्द्र यादव				
कुल योग–					**1.58**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाएपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के

बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

9.9.15

अपर समाहर्त्ता,
देवघर।

E/2015 LA/solar power / Adhisuchna bara

ज्ञापांक 11/15-16/02 (भू०) / भू अ0, देवघर, दिनांक 09.9.15

प्रतिलिपि : संबंधित भू धारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मुखिया, संबंधित ग्राम पंचायत को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मोहनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को तीन प्रति में दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिपिलि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेवसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

9.9.15

अपर समाहर्त्ता,
देवघर।